न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 06/2021 बउनवानी रामावतार गुप्ता बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली/खण्डार निवासी–गोत्तम कॉलोनी, आकाशवाणी के पीछे बजरिया, स0मा0

GCMS No-2021/15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.02.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली/खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(217)/सूकाअ/2020/3213–14 दिनांक 28.10.2020 से तहसीलदार बौंली व खण्डार को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जीए 55 ए की प्रमाणित प्रति सितम्बर,1994 से जुलाई 1997 तक (वेतन एवं एरियर बिल समस्त) कार्मिक रामावतार गुप्ता पटवारी की तहसील बौंली
2. जीए 55 ए प्रमाणित प्रति अक्टूबर 1997 से मई 2002 तक व अगस्त,2003 से फरवरी,2016 तक (वेतन एवं एरियर बिल समस्त) की प्रमाणित प्रति तहसील खण्डार

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली एवं खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली एवं खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./सूकाअ/2021/44 दिनांक 03.02.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (वेतन बिल,एरियर) गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय हुई आगजनी मे जलकर नष्ट हो जाने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है, तथा तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/सूकाअ/2021/381 दिनांक 4.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (वेतन व एरियर बिल) की प्रमाणित सूचना के लिए 12074/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.2.2021 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रार्थी से सभी वेतन व एरियर बिलों की प्रमाणित प्रति के लिए राशि की मांग की गयी है जबकि मुझे मेरे स्वंय के नाम के बिल के पृष्ठ की प्रमाणित प्रति चाहिऐ। उक्त बिलो मे से मेरे नाम के पृष्ठों की गणना कर शुल्क राशि बतायी जाने पर जमा करवा दी जावेगी, तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट से शुल्क राशि 12074/–रू जमा करवाना न्यायोचित नही है।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक [illegible] 2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1पर चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड [illegible] हो [illegible] के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। बिन्दु संख्या 2 पर चाही [illegible] खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा अपने [illegible] बिल से संबंधित पृष्ठ [illegible]णित प्रति चाही गयी है। अतः अपीलान्ट के स्वंय के नाम वाले पृ[illegible] की प्रमाणित प्रति के [illegible]लान्ट से शुल्क वसूल किया जाकर 15 दिवस मे सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन) 17/2/21
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested